

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)

प्रकरण संख्या- 16/2021

निर्णय दिनांक-17.06.2021

1. उदयसिंह पुत्र बालु जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
2. किशनलाल पुत्र बालु जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
3. विजयसिंह पुत्र बालु जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
4. भुरी पुत्री बालु जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5. जमनी पत्नी बालु जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

— प्रार्थीगण

बनाम


1. जगदीश पिता परथा जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
2. देवीलाल पिता परथा जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
3. पृथ्वीलाल पिता ऐलिराम जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
4. मोडीराम पिता उंकार जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5. गोपालसिंह पिता हमेरसिंहजी शक्तावत जी जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
6. मोहनलाल पिता भेरा जी जाति खटीक आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
7. देवीलाल पिता परथा जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
8. गोकल पिता परथा जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
9. भेरुलाल पिता परथा जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
10. रतन पिता परथा जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
11. जगदीश पिता सोराम जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
12. पुरण पिता सौराम जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी मोडजी का मिन्नाणा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा० ले० २० एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक धारा 128 रा०ले०२०एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा मिण्डाना प०ह० मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं० 39 की आराजी नं० 495 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नं० 497 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी नं० 502 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, आराजी नं० 504 रकबा 0.0800



हैक्टेयर, आराजी नं० 522 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नं० 523 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नं० 73/1025 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, आराजी नं० 90 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 01 से 06 तक की ओर से अधिवक्ता श्री ललित सिंह शक्तावत उपस्थित हुए। इनके द्वारा पत्थरगढ़ी हेतु सहमति जाहिर की गयी। शेष विपक्षीगण बावजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित रहे। वकील प्रार्थीगण एवं वकील विपक्षी संख्या 01 से 06 तक की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1600/-रु० फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा मिण्डाना प०ह० मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं० 39 की आराजी नं० 495 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, आराजी नं० 497 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, आराजी नं० 502 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, आराजी नं० 504 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नं० 522 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नं० 523 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नं० 73/1025 रकबा 0.8000 हैक्टेयर, आराजी नं० 90 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 4.1000 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

